

## प्रेस विज्ञापित

आज दिनांक 16.03.2020 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा फेडरेशन ऑफ नौएडा रेजिडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन (फोनरवा) के पदाधिकारियों के साथ उनकी समस्याओं के समाधान के दृष्टिगत बैठक की गई। बैठक में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पी/एस), विशेष कार्याधिकारी (आई/टी), महाप्रबन्धक (के/आर), उपमहाप्रबन्धक (जल) तथा फोनरवा के अध्यक्ष श्री योगेन्द्र शर्मा, महासचिव श्री केके0 जैन एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

फोनरवा के सदस्यों द्वारा डोर टू डोर शत-प्रतिशत कूड़ा उठवाने के लिए सर्वप्रथम मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया को धन्यवाद दिया गया। फोनरवा के पदाधिकारियों द्वारा मुख्य रूप से सभी सैक्टर्स में कुत्तों के काटने की समस्या से अवगत कराया। पीने के पानी की गुणवत्ता में सुधार व प्रस्तानित जल शुल्क बढ़ाने के रोकने की मांग की गई, साथ ही यह भी कहा गया कि सभी सैक्टर्स में विद्युत केबिल अण्डरग्राउण्ड की जाये तथा सामुदायिक केन्द्रों के संचालन में आर0डब्लू0ए0 को नकद खर्च करने की एक सीमा निर्धारित की जाये। फोनरवा के पदाधिकारियों द्वारा निवासियों पर आर0डब्लू0ए0 द्वारा जो अनुरक्षण शुल्क लगाया जाता है उसकी वसूली का अधिकार दिये जाने की बात भी रखी गई।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा उपरोक्त समस्याओं के निस्तारण के लिए तत्काल सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। कुत्तों की समस्या के समाधान हेतु उनके द्वारा पदाधिकारियों को अवगत कराया गया कि कुत्तों के Sterilization (बंध्याकरण) के लिए एक अन्य संस्था की भी चयन कर लिया गया है, वह तत्काल प्रभाव से अपना कार्य प्रारम्भ कर देंगे। जहाँ तक जल शुल्क के न बढ़ाने का प्रश्न है, यह निर्णय प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा लिया गया है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा पानी की गुणवत्ता के सुधार हेतु विशेष कार्याधिकारी (जल) को निर्देशित किया गया कि आवश्यकतानुसार RFP बनाकर 2 दिनों के अन्दर पत्रावली प्रस्तुत की जाये। जहाँ तक सामुदायिक केन्द्रों के संचालन में आर0डब्लू0ए0 को नकद खर्च करने की अनुमति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि क्योंकि पूर्व में ऑडिट आपत्ति लगी हुई है इसलिए ऑडिट आपत्ति के जवाब देने के बाद ही परीक्षणोपरान्त कार्यवाही सम्भव है। अनुरक्षण शुल्क बढ़ाया वसूली के सम्बन्ध में विशेष कार्याधिकारी को निर्देशित किया गया कि विधिक परीक्षण कराकर पत्रावली तत्काल प्रस्तुत करें तथा आर0डब्लू0ए0 द्वारा भागीदारी के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा स्पष्ट किया गया कि कम्प्यूनिटी सेन्टर, कम्पोस्टिंग मशीन एवं Mithenzation मशीन के संचालन के द्वारा आर0डब्लू0ए0 भागीदारी प्रदान की जा रही है।







